प्रेषक,

रामकरन–II,
विशेष न्यायाधीश (आव0व0अधि0),
बांदा।

सेवा में,

श्री अवनीष कुमार जायसवाल,
उपनिबन्धक मान्नीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा– श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
बांदा।

विषयः– भवन निर्माण पूर्ण किये जाने हेतु मु0–6,00,000/–रूपया जी.पी.एफ.खाता सं0–एल.जे.यू. 23465 से अन्तिम निष्कासन के सम्बंध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा भवन निर्माण पूर्ण करने के लिये अपने जी.पी.एफ. खाता सं0–एल.जे.यू. 23465 में से मु0–6,00,000/–रूपये स्वीकृत किये जाने हेतु मान्नीय उच्च न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रेषित किया गया था जिसके सम्बंध में महोदय द्वारा जनपद न्यायाधीश बांदा को पत्र संख्या IV–2849/एडमिन (A) दिनांकित नवम्बर, 2019 प्रेषित किया गया था जिसकी प्रति मुझे पत्र सं0–17028/ IV–2849/एडमिन दिनांकित 22.11.2019 प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र के कम में मेरे द्वारा वर्ष 2019–2020 में जमा धनराशि जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है कि स्वप्रमाणित प्रति, जनपद न्यायाधीश महोदय बांदा द्वारा मेरे जी.पी.एफ. खाता संख्या एल.जे.यू. 23465 में अद्यतन जमा धनराशि से सम्बन्धित प्रमाणपत्र, मेरे द्वारा भवन निर्माण पूर्ण किये जाने सम्बंधी औचित्य प्रमाणपत्र, भवन निर्माण किये जाने हेतु धनराशि की कमी होने व प्राप्त धनराशि का उपयोग केवल भवन निर्माण पूर्ण किये जाने में ही खर्च किये जाने सम्बंधी प्रमाणपत्र, प्राप्त धनराशि में से यदि कोई धनराशि बच जाती है तो उसे सम्बन्धित प्राधिकारी या अपने उक्त एकाउन्ट में वापस किये जाने सम्बंधी अन्डरटेकिंग पूर्व में प्राप्त धनराशि मु0–15,00000/–रुपये का उपयोग भवन निर्माण में ही किये जाने सम्बंधी प्रमाणपत्र महोदय की सेवा में प्रेषित किया जा रहा है।

अतः महोदय से, प्रार्थना है कि भवन निर्माण पूर्ण किये जाने हेतु उक्त वांछित धनराशि मु0–6,00,000/–रूपये अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति हेतु मान्नीय न्यायालय के समक्ष आवेदनपत्र प्रस्तुत किये जाने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,
23/1/2020
(रामकरन–II)
विशेष न्यायाधीश(आव0व0अधि0),
बांदा।

दिनांक 23.01.2020

Office of the District Judge, Banda
No. 1641/E Dated 23.01.2020
FORWARDED

District Judge
BANDA
23-01-2020

महत्वपूर्ण ब्योरे

अभिदाता का नाम — श्री रामकरन

महालेखाकार, उ० प्र० द्वारा (1) —

आवंटित भविष्य निर्वाह निधि (2) — J.P

लेखा संख्या (संख्याएं) (3) — 23465

विभागीय प्राधिकारी द्वारा आवंटित भविष्य निर्वाह निधि लेखा संख्या, यदि कोई हो (आवंटित किये जाने के दिनांक कोष्ठक में दिया जायेगा —

पास-बुक जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर नाम तथा मुहर — (हस्ताक्षर) — (नाम) — (पदनाम) विशेष न्यायाधीश सीतापुर 30-6-03

मुहर विशेष न्यायाधीश सीतापुर 30-6-03

पास-बुक जारी किये जाने का दिनांक 30-6-2003

अभिदाता का निजी विवरण (BIODATA)

1. नाम — रामकरन
2. पिता/पति का नाम — श्री रामसुख
3. जन्म-तिथि — 21-01-1962
4. (क) स्थायी पता — ग्राम सोहिला, पोस्ट सोहिला जनपद गोंडा।
   (ख) अस्थायी पता — J-4, आफीसर कालोनी सिविल लाइन, सीतापुर।
5. उत्तर प्रदेश शासन के अधीन सेवा में प्रवेश करने का दिनांक — 01-10-1999
6. भविष्य निर्वाह निधि में अभिदान प्रारम्भ होने का दिनांक — 1-07-2002
7. अभिदाता के हस्ताक्षर का नमूना (जारी करने वाले प्राधिकारी के समक्ष किये जायेंगे) — Ram Karan
8. पास बुक जारी करने वाले उस प्राधिकारी के हस्ताक्षर (हस्ताक्षर) —
   (दिनांक) —
   तथा मुहर को अभिदाता के हस्ताक्षर को प्रमाणित कर (मुहर) — विशेष न्यायाधीश सीतापुर 30-6-03

सरकारी सेवा छोड़ने का दिनांक —

Self attest
Ram Karan
चतुर्थ अपर जिला / विशेष न्यायाधीश (आ०व०) बाँदा

L.J.U/23465

वर्ष 2019-20

भुगतान का मास	वेतन, अवकाश वेतन की सम्बद्ध अवधि	कोषागार वाउचर संख्या और दिनांक	वाउचर की धनराशि	लेखा शीर्षक	सामान्य भविष्य निधि की कटौती: अभिदान रु०	सामान्य भविष्य निधि की कटौती: अग्रिम की वापसी रु०	सामान्य भविष्य निधि की कटौती: योग रु०	उस सामान्य भविष्य निधि के शेड्यूल की धनराशि का योग जिसमें कटौती सम्मिलित की गई हो	आहरण एवं वितरण अधिकारी के ह० व मुहर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अप्रैल	03/19	A11/09.04.19	1,43,818	8009	10,000.00	–	10,000.00	10,000/.	
मई	04/19	A13/02.05.19	1,43,818	"	10,000.00	–	10,000.00	10,000/.	
जून	05/19	A45/29.05.19	1,43,818	"	10,000.00	–	10,000.00	10,000/.	
जुलाई	06/19	A03/01.07.19	143818	"	10,000.00	–	10,000.00	10,000/.	
अगस्त	07/19	A18/02.08.19	143818	"	10,000.00	–	10,000.00	10,000/.	
सितम्बर	08/19	A32/31.08.19	143576	"	10,000.00	–	10,000.00	10,000/.	
अक्टूबर	09/19	A23/28.09.19	143068	"	10,000.00	–	10,000.00	10,000/.	
नवम्बर	10/19	A16/22.10.19	143068	"	10,000.00	–	10,000.00	10,000/.	
दिसम्बर	11/19	A29/29.11.19	148838	"					
जनवरी									
फरवरी									
मार्च									

योग

माह 03/19 से 11/19 तक [illegible] सत्यापित

STO Banda

मुख्य कोषाधिकारी बाँदा

माह 03/19 से 11/19 तक अभिदान सत्यापित

Drawing & Disbursing Officer
Distt. Judge's Ct. Banda

वर्ष के दौरान सामान्य भविष्य निधि से लिये गये अग्रिमों के ब्यौरे—

स्वीकृति आदेश संख्या और दिनांक	स्वीकृति धनराशि	स्थायी अथवा अंतिम प्रत्याहरण	कोषागार वाउचर संख्या तथा दिनांक	लेखा शीर्षक	वसूली रिकवरी की किश्तों की संख्या	वसूली प्रारम्भ होने का दिनांक	आहरण एवं वितरण अधिकारी हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8
माह 04/19 से 11/19 तक आहरण शून्य			माह 03/19 से 11/19 आहरण शून्य				

Drawing & Disbursing Officer
Distt. Judge's Ct. Banda

मुख्य कोषाधिकारी
बाँदा

वार्षिक लेखा-बन्दी के ब्यौरे

प्रारम्भिक 14,50,422.00

(1) वर्ष का अभिदान
(2) अग्रिम/अग्रिमों की वापसी
(3) महालेखाकार द्वारा जारी किये गये पिछले समायोजन
(4) महालेखाकार द्वारा जारी की गई लेखा पर्ची के अनुसार ब्याज
योग
(5) प्रोत्साहन बोनस
बृहत योग

घटाये—
(1) वर्ष के दौरान प्रत्याहरण
(2) महालेखाकार द्वारा किये गये पिछले समायोजन/प्रत्याहरण
अन्तिम शेष

सत्यापित
———— द्वारा सत्यापित किया गया।

———— द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

आहरण एवं वितरण अधि० की मुहर

(1) मेरे द्वारा पास-बुक का प्रथम निरीक्षण ———— को किया गया।

अभिदाता के हस्ताक्षर

(2) मेरे द्वारा पास-बुक की द्वितीय निरीक्षण ———— को किया गया।

अभिदाता के हस्ताक्षर

Self attested
23/11/2020
चतुर्थ अपर जिला जज
विशेष न्यायाधीश (आ०व०अधि०)
बाँदा

कार्यालय जिला न्यायाधीश–बांदा।

प्रमाण पत्र

प्रभारी अधिकारी (लेखा), जिला न्यायालय, बांदा द्वारा अग्रसारित लेखा लिपिक की की आख्या (प्रति संलग्न) के अनुसार श्री रामकरन–।।, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–04, बांदा द्वारा दिनांक 25.04.2018 को न्यायिक अधिष्ठान, बांदा में कार्यभार ग्रहण किया गया था। जनपद न्यायालय, हरदोई से प्राप्त विवरण के अनुसार श्री रामकरन की जी0पी0एफ0 पासबुक में दिनांक 16.04.18 को प्रारम्भिक अवशेष रूपये 27,02,468.00 था। माननीय न्यायालय के पत्रांक 8483 दिनांकित 30.05.2018 द्वारा 15,00,000.00 (पन्द्रह लाख रूपये) का आहरण किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019–2020 में प्रारम्भिक अवशेष 14,50,422.00 रूपये है व अभिदान 90,000.00 रूपये कुल 15,40,422.00 रूपये जमा है। उक्त कुल धनराशि में कोई ऐसी धनराशि सम्मिलित नही है जिसका आहरण न किया जा सके।

जिला न्यायाधीश
बांदा।
15.01.2020

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मान्नीय उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर लखनऊ में खसरा संख्या–1011 गाटा संख्या–416 ग्राम भरवारा गोमती नगर लखनऊ में भवन निर्माण हेतु अपने भविष्य निधि खाता संख्या एल.जे.यू. 23465 से मु0–15,00000/–रूपये प्राप्त किया था जिसका उपभोग मैंने भवन निर्माण में ही किया है। वर्तमान समय में मजदूरी व सामान मंहगा होने के कारण भवन निर्माण पूर्ण नहीं हो सका। भवन निर्माण पूर्ण किये जाने हेतु धनराशि मेरे पास नहीं है, इसलिये अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत कराये जाने की आवश्यकता हुई है। प्राप्त धनराशि का उपयोग भवन निर्माण पूर्ण किये जाने में ही किया जायेगा, अन्य किसी मद में उपयोग नहीं किया जायेगा।

23/1/2020

दिनांक 23.01.2020

(रामकरन–II)
विशेष न्यायाधीश(आव0व0अधि0),
बांदा।

चतुर्थ अपर जिला जज/
विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0)
बाँदा

उपभोग प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अपने भवन निर्माण हेतु मान्नीय उच्च न्यायालय से स्वीकृत धनराशि मु0–15,00000/–रूपये का उपभोग मैंने केवल और केवल अपने भवन निर्माण में ही किया है।

23/1/2020

(रामकरन–II)

विशेष न्यायाधीश(आव0व0अधि0),

चतुर्थ अपर जिला जज/

विशेष न्यायाधीश (आ०व०अधि०),

बाँदा

दिनांक 23.01.2020

वचन पत्र

यह कि मैंने अपने जी.पी.एफ. खाता संख्या एल.जे.यू. 23465 में से मु0–6,00000/–रूपये मकान निर्माण पूर्ण किये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रेषित किया है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई धनराशि उपयोग करने से रह जाती है, तो यह वचन देता हूँ कि बची हुई धनराशि सम्बन्धित प्राधिकारी व अपने उक्त एकाउन्ट में वापस कर दूँगा।

दिनांक 23.01.2020

23/1/2020

(रामकरन–II)
विशेष न्यायाधीश(आव0व0अधि0)
बांदा।

चतुर्थ अपर जिला जज/
विशेष न्यायाधीश (आ०व०अधि०)
बाँदा

Attested.
23.01.2020

Drawing & Disbursing Officer
for District Judge
BANDA